

है। कार्बन्ड के जल-पाय के राज्यों में ही गुलाम का जनधार है।

संगठन:-

गुलाम की संगठन की जागृताई हमें इसके संविधान से मिलती है। गुलाम के संविधान के दो भाग हैं:-

प्रस्तावना और अनुच्छेद भाग

प्रस्तावना:-

गुलाम, कार्बन्ड की शोषित, पीड़ित एवं पक्ष्यात्के विप संघर्षरत, प्रगतिशील एवं उच्च जादशी वादी जनता की एक सामाजिक संगठन है, जिसका लक्ष्य कार्बन्ड की पक्ष्यात्क टाखिल करना है एवं एक सहज राज्य का निर्माण करना है। गुलाम, भारतीय गणराज्य के अन्दर समाजवाद पर आधारित एक प्रान्त के रूप में कार्बन्ड का निर्माण करने का लक्ष्य अपने सामने रखती है, जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का बोधन की कोई सम्भावना न हो। गुलाम का लक्ष्य उस आन्दोलन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके अन्तर्गत पिछड़ावत, दरिद्रता, कंगाली, एवं अशिवा को सहज उखाड़ कर स्वास्थ्य, सामान्य, सहज सुशासित तथा खाद्यसिक्तता पर आधारित आन्दोलित समाज का निर्माण करना है।

अनुच्छेद भाग:-

गुलाम के संविधान में प्रस्तावना के कवाय एक एक और भाग अनुच्छेदों का है। इसमें कुल 24 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों में पार्टी का नाम कार्बन्ड कुकि मोर्चा, संगठन का चिन्ह काफ़ि का

उल्लेख है। सहस्रग, पार्टी की घोषणा, सहस्रग
कुलुख समेत सहस्रों का कुलुख, अधिकार विहित
स्तर एवं महाविभागों की विस्तृत चर्चा इसके विहित
अनुच्छेदों में की गई है।

उत्तर की कार्य और नीतियाँ:-

किसी की पार्टी के कार्य एवं नीतियों की जातकी
उस पार्टी के घोषणापत्र द्वारा प्राप्त होता है। अतः
उत्तर के घोषणा पत्र द्वारा ~~उत्तर~~ उत्तर के कार्य व नीतियों
की जातकी मिलती है जो इस प्रकार है:-

1. उत्तर प्रदेश राज्य के गठन आन्दोलन के क्रम में हुई हुए कुलुखों
को वापसी की मांग करना है।
2. उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए चलाये जाते
बाकी योजनाओं का गाँव, कुलुख, स्तर पर स्थानीय
निवासियों के कामकाज के अनुरूप निर्माण एवं क्रियान्वयन
क्रियमाण
3. उत्तर प्रदेश के विस्थापितों के लिए पुर्नवास की नीति
बनाया जाय
4. उत्तर प्रदेश में बंगला एवं उर्दू को द्वितीय राष्ट्रभाषा का दर्जा
मिले।
5. आदिवासी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की जाय।
6. उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संपदा को दोहन से रक्षा
करना
7. उत्तर प्रदेश में पञ्जाबी एवं महिला आयोग का गठन हो।
8. पंचायत स्तर पर महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व
के लिए 50% आरक्षण की जाय।

9. कारखानों में जंगल बचाने के लिए होस कार्य योजना का निर्माण हो।

10. कारखानों में कर्मियों सभी प्रकार के शारीरिक उपकरण का लुब्धावय कारखानों में स्थानान्तरित की जाय

11. विधि व्यवस्था को सुरक्षित-दुरुस्त करने के लिए पुलिस विभाग का पुर्णतः किया जाय

12. कारखानों में धार्मिक एवं आराम व मनोरंजन के लिए बाबू संगठनों पर पूर्ण रूप से प्रविंध्य लगाया जाय।